न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/211

बजरंग लाल पुत्र रामप्रताप जाति नाई निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. स्व0 रामनिवास पुत्र मुन्ना (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रमेश चन्द मुतबन्ना (गोदपुत्र) स्व0 रामनिवास जाति खाती ।
3. स्व0 नाथूलाल पुत्र मन्ना (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. बाबूलाल पुत्र स्व0 नाथूलाल जाति खाती ।
   3/2. दुर्गाशंकर पुत्र स्व0 नाथूलाल जाति खाती निवासीगण मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 88 एवं 91 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 13.01.1983 को खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की 2.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल 4.12 हैक्टर आराजी ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । उक्त भूमि का वादी को रिटायर्ड सैनिक होने के आधार पर आवंटन किया गया । उक्त आवंटन आदेश की अपील प्रतिवादीगण कम 2 व 3 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की उक्त अपील न्यायालय द्वारा सुनने योग्य नहीं मानी और प्रतिवादीगण को लौटा दी गई । प्रतिवादीगण क्रम 2 व 3 ने पुनः अपील जिलाधीश कोटा के यहॉ प्रस्तुत की जिसे न्यायालय जिलाधीश कोटा द्वारा खारिज कर दिया तथा वादी का उक्त आवंटन सही माना । प्रतिवादीगण क्रम 2 व 3 ने उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जहॉ उनकी अपील को माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.1988 को खारिज कर दिया । इसी दौरान प्रतिवादीगण क्रम 2 व 3 ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त आवंटनशुदा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा जमाबन्दी में सिवायचक राज0 सरकार भूमि की जगह प्रतिवादीगण ने अपना नाम अंकित करवा लिया । प्रतिवादीगण क्रम 2 व 3 ने जबरन अवैधानिक रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है तथा किसी भी सूरत पर कब्जा छोडने को तैयार नहीं है । प्रतिवादीगण की हैसियत एक अतिक्रमी की है जिससे वे बेदखली के अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की रकबा 2.14 हैक्टर एवं नये खसरा नम्बर 337 की 1.98 हैक्टर कुल 4.12 हैक्टर आराजी वाके ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा जो वादी को आवंटित की गई है उक्त आराजी वादी के नाम अंकित की जावे तथा वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 3/1 बाबूलाल ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । सीलिंग से पूर्व खातेदारान श्रीमती इन्द्रकंवर बाई ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया था परन्तु उसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे । उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में की गई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया । जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया । अपीलान्ट उक्त वाद एवं अपील में पक्षकार नहीं थे । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को दिनांक 13.01.1983 को आवंटित हो चुकी थी । रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना वाद अपने पक्ष में निर्णित करवा लिया और उसी आधार पर उक्त भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को सैनिक कोटे से दिनांक 13.01.1983 को खसरा नम्बर 132 जिसके नये खसरा नम्बर 299 की 2.14 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 337 की रकबा 1.98 हैक्टर भूमि कुल आराजी 4.12 हैक्टर वाके ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा आवंटित की गई थी और कब्जा दिलाया गया था । तत्पश्चात् अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर काश्त करना शुरू किया था । वादग्रस्त आराजी सीलिंग सिवायचक हुई थी । खातेदार इन्द्रकंवर के खाते से अधिग्रहण होने के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज हुई थी और अपीलान्ट को नियमानुसार आवंटित की गई थी । रेस्पोडेन्ट रामनिवास खाती के द्वारा मौके पर अवैध कब्जा कर लिया थ और सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर इस आराजी को अपने नाम अवैध रूप से दर्ज करवा लिया । अपीलान्ट के द्वारा जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई थी । इसी दौरान अपीलान्ट के आवंटन आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की गई जिसको निरस्त किया गया । तत्पश्चात् जिला कलक्टर के समक्ष अपील पेश की गई जिसे जिला कलक्टर के द्वारा दिनांक 03.10.1983 को खारिज किया गया । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष भी अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25.03.1988 को खारिज की गई । रेस्पोडेन्ट के द्वारा ताकत के बल पर कब्जा कर लेने पर अपीलान्ट के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 183, 88 एवं 91 एलआरएक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.04.2003 को अपीलान्ट के पक्ष में डिक्री किया गया । इस निर्णय के खिलाफ अपील पेश होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 28.09.2004 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करके वादी का दावा खारिज किया है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । तनकीयात का निर्णय विधि–विरूद्ध रूप से किया गया है । पूर्व खातेदार इन्द्रकंवर ने रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया था परन्तु इस वाद में अपीलान्ट पक्षकार नहीं था । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था । इस वाद को दिनांक 07.11.1987 को डिक्री किया गया जिसके खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की गई और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा दिनांक 10.04.1990 को अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम दर्ज करवा ली । अपीलान्ट इस दावे में एवं अपील में पक्षकार नहीं था, जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को सन् 1983 में आवंटित हुई थी जिसकी रेस्पोडेन्ट को जानकारी थी । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 10.04.1990 निष्प्रभावी एवं शून्य है क्योंकि इस अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है । वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट को आवंटित हुई है जिसका एक मात्र मालिक वादी है । प्रतिवादी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है । वादी ने वाद को अपने पक्ष में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया था फिर भी दावा खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 21.05.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 268, आरआरटी 2006 पेज 1171, आरआरडी 2018 पेज 51, आरआरडी 2017 पेज 352, आरआरडी 2009 पेज 456, 2018 (2) आरसीआर पेज 567, एआईआर 1994 (एससी) पेज 853 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर धारा 80 सीपीसी नोटिस प्रदर्श–1, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श–2, ए0डी0 कार्ड प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 132, 133 की आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2047–50 प्रदर्श–5 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 299 एवं 337 की आराजी रामनिवास, नाथूलाल पिसरान मन्ना के खाते में दर्ज है । प्रदर्श – 6 मिलान क्षेत्रफल की नकल है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 337 के साबिक खसरा नम्बर 139 और 132 हैं । प्रदर्श– 7 आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार वादी को खसरा नम्बर 132 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया है । प्रदर्श– 8 राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.12.1988 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार अपील खारिज की गई है ।

11. पत्रावली पर बयान वादी बजरंग लाल संलग्न हैं ।

12. बयान प्रतिवादी बाबूलाल, डीडब्ल्यू–1, हुकुमचन्द डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

13. पत्रावली पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 10.04.90 के निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है परन्तु इसको प्रदर्शित नहीं करवाया गया है इसके अलावा न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय प्रकरण संख्या 183/14 की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसे भी प्रदर्शित नहीं करवाया गया ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी बाबूलाल की ओर से दिनांक 19.07.2017 को जवाबदावा पेश किया गया है और आदेशिका दिनांक 08.02.2018 के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं । तनकीयात पृष्ठ संख्या 112 पर संलग्न की गई हैं परनतु इसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं । साथ ही जवाबदावे की मद संख्या 03 के बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गई है । इसी तरह से जवाबदावे की मद संख्या 06 के बाबत् भी कोई तनकी कायम नहीं की गई है जबकि दावे एवं जवाबदावे में अंकित तथ्यों के आधार पर समस्त विवादित बिन्दुओं के बाबत् तनकीयात कायम किया जाना अनिवार्य होता है ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जो कि विधिक रूप से अनिवार्य है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण को नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे में अंकित समस्त बिन्दुओं के मध्यनजर नये सिरे से समस्त बिन्दुओं के बाबत् तनकीयात कायम कर यदि पक्षकारान कुछ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहे तो उन्हें साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा